1. जगमाल पुत्र कंवरीलाल, उम्र 28 वर्ष, निवासी अठियासन, पुलिस थाना कोतवाली, नागौर, जिला नागौर (राजस्थान)

**..... प्रार्थी/अभियुक्त**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य

**..... अप्रार्थी**

**उपस्थितः-**

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से - श्री महावीर विश्नोई, अधिवक्ता
2. राजस्थान राज्य की ओर से - श्री अनिल गौड़, विशिष्ट अपर लोक अभियोजक

**जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023**

**(A) Case Details :-**

| | |
|---|---|
| FIR Number & Date | 09/11.01.2026 |
| Police Station, District and State | कुचेरा, जिला नागौर, राजस्थान |
| Section invoked | 8/21, 29 NDPS Act |
| Maximum punishment prescribed | कठोर कारावास बीस वर्ष |

**(B) Custody & Procedural Compliance:-**

| | |
|---|---|
| Date of Arrest | 19.02.2026 |
| Total period of custody undergone | 23 Days |

**(C) Status of trial:-**

| | |
|---|---|
| Stage of Proceedings (Investigation/Charge sheet/Cognizance/Framing of charges/Trial) | Investigation |
| Total number of witnesses cited in the charge sheet | Nil |
| Number of prosecution witnesses examined | Nil |

**(D) Criminal Antecedents:-** Nill

**(E) Previous Bail Applications :-**

| | |
|---|---|
| Court | Nil |
| Case No. | Nil |
| Outcome of Case | Nil |

**(F)**

- Whether any Non-Bailable Warrant was issued :- Nill
- Whether declared a proclaimed offender :- Nill

**आदेश**

**दिनांक 13.03.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त जगमाल की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 09/2026, पुलिस थाना कुचेरा, जिला नागौर में प्रस्तुत किया गया, जो दर्ज रजिस्टर किया गया। नकल विशिष्ट अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। उभय पक्षों की बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 11.01.2026 को श्री हबीब खां, पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी, पुलिस थाना कुचेरा मय जाप्ता मुखबिर इत्तिलानुसार ग्वालु रोड़ स्थित रामप्रसाद पुत्र गुमानाराम जाट के रहवासी घर व बाड़े पर पहुंचे, जहां एक लड़का खड़ा था जो थानाधिकारी व बावर्दी जाप्ते को देखकर धीरे से निकलने की कोशिश करने लगा। जिस पर उक्त शक्स को उसके बाड़े में ही रोका रखा। शख्स को डिटेन कर उसकी तलाशी ली गई तो उसकी पेंट की दाहिनी जेब में से एक प्लास्टिक की पुड़िया मिली, जिसमें मटमैला रंग का पदार्थ भरा हुआ था, जो सूंघने व अपने ज्ञान व अनुभव के आधार पर मादक पदार्थ एमडीएमए होना पाया तथा रामप्रसाद ने भी एमडीएमए होना बताया। उक्त अवैध मादक पदार्थ एमडीएमए का इलेक्ट्रॉनिक कांटे की सहायता से वजन किया तो पुड़िया सहित वजन कुल 12.62 ग्राम व शुद्ध वजन 11.02 ग्राम हुआ। मादक पदार्थ एमडीएमए अपने कब्जे में रखने बाबत् कोई लाइसेंस व परमिट आदि के बारे में पूछा तो नहीं होना बताया। इस प्रकार शख्स रामप्रसाद द्वारा अवैध मादक पदार्थ एमडीएमए अपने कब्जे में रखना अपराध अन्तर्गत धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत पाया गया, जिस पर रामप्रसाद को मौके पर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। बाद मौका कार्यवाही के गिरफ्तारशुदा मुलजिम, मय बरामदशुदा अवैध मादक पदार्थ व मौके पर मुर्तिब फर्दात के थाने पर पहुंचकर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 09/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज रजिस्टर की गई। दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त जगमाल के विरुद्ध धारा 8/21, 8/29 एनडीपीएस एक्ट के अपराध का आरोप प्रमाणित पाए जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। जिस पर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने जमानत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसको उक्त प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रकरण में सहअभियुक्तगण सुमेर, सुरेश, अकरम व मुख्यत्यार अहमद की नियमित जमानत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी. क्रिमीनल मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन नंबर 1736/2026, 1241/2026, 1735/2026 व 1737/2026 में पारित आदेश दिनांक 06.03.2026 के द्वारा स्वीकार की जा चुकी है एवं प्रार्थी/अभियुक्त का मामला उनसे भिन्न नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड शून्य है। प्रार्थी/अभियुक्त के भौतिक कब्जे से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी व अनुसंधान करना शेष नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी/अभियुक्त के फरार होने का अंदेशा नहीं है एवं न ही उस पर गवाहान को बहकाने या डराने का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त माफिक आदेश मौतबीर जमानत पेश करने के लिए तैयार है। अन्त में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी/अभियुक्त को मौतबीर जमानत पर रिहा करने के आदेश बाबत् निवेदन किया।

4. विद्वान विशिष्ट अपर लोक अभियोजक ने प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए बहस में निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में सहअभियुक्त रामप्रसाद के कब्जे से

मौके पर भारी वाणिज्यिक मात्रा में शुद्ध वजन 11.02 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडीएमए बरामद हुआ है तथा अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त जगमाल के विरुद्ध धारा 8/21, 8/29 एनडीपीएस एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया गया है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

5. उभय पक्षों के तर्कों पर गौर किया गया एवं केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण वर्तमान में अनुसंधानाधीन है, ऐसे में प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी व्यक्त किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में पुलिस द्वारा अब तक के अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध जुर्म धारा 8/21, 8/29 एनडीपीएस एक्ट का आरोप प्रमाणित माना गया है।

7. अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि हस्तगत प्रकरण में सहअभियुक्तगण सुमेर, सुरेश, अकरम व मुख्त्यार अहमद पर यह आरोप था कि उन्होंने मुख्य अभियुक्त रामप्रसाद, जिससे कि प्रकरण में जब्तशुदा अवैध मादक पदार्थ एमडीएमए बरामद हुआ था, से मादक पदार्थ एमडीएमए अपने खाने के लिए क्रय किया था। प्रार्थी/अभियुक्त जगमाल पर भी यही आरोप है इसलिए उसका मामला दीगर अभियुक्त सुमेर, सुरेश, अकरम व मुख्त्यार अहमद के समान ही है, जिनकी नियमित जमानत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए। इस संबंध में केस डायरी का अवलोकन करें तो केस डायरी पर मुख्य अभियुक्त रामप्रसाद की धारा 23(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला संलग्न है, जिसके अनुसार अभियुक्त रामप्रसाद ने उसके कब्जे से जब्तशुदा अवैध मादक पदार्थ एमडीएमए प्रार्थी/अभियुक्त जगमाल व अन्य व्यक्ति से खरीदना बताया है। प्रार्थी/अभियुक्त जगमाल ने भी अपनी धारा 23(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला में उक्त अवैध मादक पदार्थ एमडीएमए, जो कि अभियुक्त रामप्रसाद से बरामद हुआ है, अभियुक्त रामप्रसाद को बेचना बताया है। धारा 23(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला पर उस जगह की तस्दीक भी की गई है, जिस जगह पर प्रार्थी/अभियुक्त जगमाल ने अवैध मादक पदार्थ एमडीएमए मुख्य अभियुक्त रामप्रसाद को बेचान किया था। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त जगमाल पर मुख्य अभियुक्त रामप्रसाद, जिससे कि प्रकरण में अवैध मादक पदार्थ एमडीएमए बरामद हुआ है, को उक्त मादक पदार्थ बेचान करने/उपलब्ध कराने का आरोप है जबकि अन्य सहअभियुक्तगण सुमेर, सुरेश, अकरम व मुख्त्यार अहमद, जिनकी जमानत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है, ने मुख्य अभियुक्त रामप्रसाद को बरामदशुदा अवैध मादक पदार्थ एमडीएमए बेचान नहीं किया है बल्कि उनपर केवल यही आरोप है उन्होंने मुख्य अभियुक्त रामप्रसाद से अपने उपयोग के लिए मादक पदार्थ एमडीएमए खरीदा है और उनसे धारा 23(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला पर किसी तरह की कोई मौका तस्दीक की गई हो, ऐसी कोई फर्द भी पत्रावली पर नहीं है। ऐसे में प्रार्थी/अभियुक्त जगमाल का मामला सहअभियुक्तगण सुमेर, सुरेश, अकरम व मुख्त्यार अहमद, जिनकी नियमित जमानत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से हो चुकी है, से पूर्णतः भिन्न प्रकृति का है। प्रकरण के मुख्य अभियुक्त रामप्रसाद की जमानत अभी नहीं हुई है।

8. प्रकरण में भारी वाणिज्यिक मात्रा में प्लास्टिक की पुड़िया में, पुड़िया सहित कुल वजन 12.62 ग्राम व शुद्ध वजन 11.02 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडीएमए बरामद होना बताया गया है। अब तक के अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध जुर्म धारा 8/21, 8/29 एनडीपीएस एक्ट का

आरोप प्रमाणित माना गया है। प्रकरण में अनुसंधान जारी है। वर्तमान में अवैध मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त की प्रवृत्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

9. अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता, बरामदशुदा अवैध मादक पदार्थ एमडीएमए की भारी वाणिज्यिक मात्रा आदि को मद्देनजर रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी व्यक्त किये बगैर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## <u>आदेश</u>

10. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त जगमाल पुत्र कंवरीलाल, उम्र 28 वर्ष, निवासी अठियासन, पुलिस थाना कोतवाली, नागौर, जिला नागौर (राजस्थान) की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

11. इस आदेश की प्रति प्रार्थी/अभियुक्त को उपलब्ध करवाने हेतु जरिए ई-मेल प्रभारी अधिकारी, जिला कारागृह, नागौर को अविलम्ब प्रेषित की जावें। केस डायरी लौटाई जावें।

(विक्रम साँखला)
विशिष्ट न्यायाधीश,
स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम
(अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 1), नागौर

12. आदेश आज दिनांक 13.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विक्रम साँखला)
विशिष्ट न्यायाधीश,
स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम
(अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 1), नागौर